**सराहनीय प्रेस नोट**
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**
**दिनांक 07.06.2021**

## सनसनीखेज हत्याकाण्ड का खुलासा, नाबालिग बालिका की हत्या मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार, मृतका के पहने हुए जेवरात के टुकड़े बरामद-

दिनांक 01.06.2021 को थाना कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत मोहल्ला सकरौरा में बने महिला शौचालय में एक 12 वर्षीय बालिका की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी। जिसके संबंध में वादी मकसूद अहमद पुत्र स्व0 श्री भग्गन नि0 मोहल्ला सकरौरा पश्चिमी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 कर्नलगंज मे मु0अ0सं0- 206/21, धारा 302 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। नाबालिग बालिका की हत्या की इस घटना को पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने चुनौती के रुप में लेते हुए घटना के शीघ्र व सफल अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के नेतृत्व में थाना करनैलगंज पुलिस व स्वॉट सर्विलां /स की टीम गठित कर घटना के खुलासे के लिए लगाया। आरोपी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वायड को भी लगाया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज के नेतृत्व में थाना करनैलगंज व स्वॉट सर्विलांस की टीम /द्वारा घटना की गहनता से जॉच पड़ताल की गयी तो विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि कुछ दिन पूर्व कस्बा करनैलगंज के सकरौरा पश्चिमी मोहल्ले में कुछ महावत लोग आकर रुके थे जिसमें 01. मुन्नू महावत पुत्र रतन नि0 सिधौर थाना असंदरा जनपद बाराबंकी व 02. नथुनी महावत पुत्र सागर नि0 बाकीपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी घटना के दिन से ही फरार चल रहे थे तथा अन्य साक्ष्यो से भी उक्त व्यक्तियों की घटना में संदिग्धता पायी गयी। जिसके आधार पर पुलिस द्वारा प्रकाश में आये उपरोक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर बहराइच मोड़ बैरागीपुरवा तिराहा के पास से आज दिनांक 07.06.2021 को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मृतका के पहने हुए सोने व चांदी के जेवर के कटे हुए टुकड़े बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.06.2021 को उन्होंने सार्वजनिक शौचालय मे शौच के लिये जाते हुए मृतका को सोने की बाली व चांदी की पायल आदि पहने देखा था जिसे छीनने के इरादे से हम दोनो द्वारा लड़की का उसके दुपट्टे से गला दबाकर उसके पहने हुए जेवर बाली व पायल निकाल कर उसे वही छोड़कर भाग गये थे बाद में पता चला की लड़की की मृत्यु हो गयी है। अभियुक्तगणों द्वारा यह भी बताया गया की वे लोग विभिन्न शहरों गांवों मे अपना डेरा लगाते है तथा /

कभी चोरी व लूट भी करते है प्रतिरोध -पत्थर व नग बेचने का कार्य करते है काम न मिलने पर कभी करने पर हत्या भी कर देते है। चूकि लाकडॉउन के चलते इनका काम बन्द हो गयाथा इसलिए पैसो को लालच में इनके द्वारा इस तरह का जघन्य अपराध किया गया है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में विभिन्न जनपदो से जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है।

**अनावरित अभियोग -**

01. मु0अ0सं0- 206 /2021 धारा 302,394,411 भादवि0 थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. मुन्नू महावत पुत्र रतन नि0 सिधौर थाना असंदरा जनपद बाराबंकी।
02. नथुनी महावत पुत्र सागर नि0 बाकीपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

**बरामदगी -**

01. मृतका के सोने व चांदी के जेवरात के कटे हुए टुकड़े।

**गिरफ्तारकर्ता टीमः -**

01. प्र0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा मय टीम।
02. प्रभारी स्वाट उ0नि0 सुनील कुमार सिंह मय टीम।